33/18/225 श्रीमती मोगा देवी बनाम छोटू वगै०

तारीख पेशी	बनाम 2018/0339 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री ....श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
31.1.2018	**श्रीमती मोगा देवी बनाम छोटू वगैरह** पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. एवं 5 मियाद अधिनियम व अपील में अभिभाषक की एक पक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं अपील व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा दिनांक 24.07.2012 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 203, 204, 205, 206, 292, 293, 299 कुल किता 7 कुल रकबा 5.9700 है. वाकै ग्राम खाजपुरा तहसील दूदू की राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश हैं तथा अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। अभिभाषक अपीलांट ने उक्त आदेश दिनांक 24.07.2012 की अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण में अपीलांट को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया। अपीलांट ने विवादित आराजी को रिकार्डेड खातेदार रामसिंह से उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड क्रय की हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट को एक पक्षीय स्थगन आदेश दिये हुए करीब 01 वर्ष से अधिक हो चुके हैं और अभी तक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधि.(अस्थायी निषेधाज्ञा) का निस्तारण नहीं किया गया हैं जबकि सी.पी.सी. के आदेश 39 नियम 3 (अ) में यह कानूनी प्रावधान दिया गया है कि जहॉ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय स्थगन आदेश जाता है तो न्यायालय का कर्तव्य है कि उक्त प्रार्थना पत्र को एक माह में निस्तारण करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नहीं है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्राथमिक स्तर पर नियत हैं एवं प्रकरण का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना इसलिए पक्षकारान के समय व आर्थिक व्ययता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अपील का इसी स्तर निस्तारण करना उचित समझतें है। **सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. को स्वीकार कर अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती हैं तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को अभिभाषक अपीलांट के प्रस्तुत कथन एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।** **तत्पश्चात अतः अपीलांट अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, विद्धान उपखण्ड अधिकारी, दूदू को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधि. (अस्थायी निषेधाज्ञा) पर उभयपक्षकारा को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए एवं अपीलांट को प्रकरण में पक्षकार संयोजित कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के तीन महत्वपूर्ण बिन्दुओं प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का विवेचन कर, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का गुणावगुण पर इस न्यायालय के आदेश से 60 दिवस माह में निस्तारण करें। यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का 60 दिवस में निस्तारण नहीं किया जाता हैं तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.07.2017 को निरस्त समझा जायेगा। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। मिसल फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	